कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 129 / 15 तिथि–30.11.2016

अज्ञात व्यक्ति बनाम कार्य0 पदा0, मीनापुर एवं अन्य (पीपराहाँ असली पंचायत, मीनापुर)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

–: निर्णय :–

किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी कि पीपराहाँ असली पंचायत, मीनापुर में वृक्षारोपण योजनान्तर्गत (वित्तीय वर्ष–2009–10 से 2014–15) के तहत लगाए गए चापाकल गायब है तथा इसमें बडे पैमाने पर लूट–खसोट हुई है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर से भौतिक सत्यापन कर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी।

इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर ने अपने पत्रांक–194 दिनांक–19.08.2016 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया। संलग्न प्रतिवेदन में कुल 51 योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं की संख्या, उनका नाम, प्राक्कलित राशि, मापीपुस्त की राशि, भुगतान की राशि, लगाए गए पौधों की कुल संख्या, वर्त्तमान में जीवित पौधों की संख्या, लगाए गए चापाकल की संख्या एवं वर्त्तमान में चापाकल की भौतिक स्थिति से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन लगाए गए चापाकल की संख्या एवं वर्त्तमान में चापाकल की संख्या में अन्तर है।

पुनः इस संबंध में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर (वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरौल) से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। उनके द्वारा अपने पत्रांक–95 दिनांक–19.11.2016 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन में उनके द्वारा कुल सात मजदूरों यथा असर्फी राम (पिता–स्व0 नारायण राम), असर्फी महतो (पिता–श्री रामवृक्ष महतो), रामश्रेष्ठ महतो (पिता–विशेश्वर महतो), राजपती देवी (पति–श्री जितेन्द्र महता), श्रेष्ठमन देवी (पति–स्व0 विन्देश्वर राम), शंकर पंडित, (पिता–धनराज पंडित), एवं उमेश राम (पिता–असर्फी राम) का बयान है जिसमें अंकित है कि उन्होंने वनपोषक के रूप में कार्य किया है तथा उनके द्वारा चापाकल लगाया गया था। इस पर सभी का निबंधन संख्या के साथ उनके हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान अंकित है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या पिपराहाँ असली पंचायत, मीनापुर में वृक्षारोपण योजनान्तर्गत वर्ष–2009–10 से 2014–15 में लगाए गए चापाकल गायब है ?

–: निष्कर्ष :–

वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर ने रिपोर्ट दिया है कि चापाकल मौके पर लगाए गए थे जो अभी यहाँ मौके पर उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर श्री रत्नेश कुमार ने अपने जवाब में अशर्फी राम, अशर्फी महतो, रामश्रेष्ठ महतो, राजपती देवी, श्रेष्ठमन देवी, शंकर पंडित एवं उमेश राम जॉब कार्डधारी मजदूरों का बयान लेकर संलग्न किया है। इसमें इन मजदूरों ने बताया है कि उन्होंने क्रमशः योजना संख्या–11 / 12–13, 10 / 12–13, 10 / 12–13, 10 / 12–13, 10 / 12–13, 10 / 12–13 और 11–12–13 में वनपोषक के रूप में कार्य किया है और वहाँ चापाकल लगाए गए थे। ऐसी स्थिति में चापाकल न लगाकर लूट–खसोट की बात स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि अब वहाँ 82 चापाकल जो होने चाहिए थे वो नहीं है। अभी मात्र 31 चापाकल ही अवस्थित है। सृजित संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम

पदाधिकारी की होती है। यदि यह संपत्ति गायब हुई है तो इसकी सूचना संबंधित थाना एवं पदाधिकारियों को देना इनका दायित्व था जिसका निर्वहन मुख्यतः मुखिया और कार्यक्रम पदाधिकारी को करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया है। इस लापरवाही के लिए इन्हें चेतावनी दी जाए तथा वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर को आदेश दिया जाए कि वे इन 51 गायब चापाकलों के संदर्भ में जाँच और खोजबीन हेतु प्राथमिकी दर्ज करावें। इस संदर्भ में परिसंपत्ति रजिस्टर में भी इसे दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करें।

—: आदेश :—

01. तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर श्री रत्नेश कुमार को इस लापरवाही के लिए गंभीर चेतावनी दी जाए।
02. वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर अपने स्तर से गायब चापाकल के संदर्भ में जाँच और खोजबीन हेतु अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करावें।
03. वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मीनापुर इस संदर्भ में गायब परिसंपत्ति का उल्लेख रजिस्टर में करते हुए इसकी सूचना उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुजफ्फरपुर को दें।

ह/०

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 67 / **मुज0,दिनांक–** 30/11/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

30/11/16

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app…